संख्या 2102 / 9–आ–1–2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 08 मई, 2000

विषय :स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शासन में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों के द्वारा घोषित स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण में प्राधिकरणों के द्वारा लिये गये निर्णयों से असन्तुष्ट होने की शिकायतें शासन में निरन्तर प्राप्त हो रही हैं। अतः उक्त योजना को अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :–

1. क्योंकि अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये शमन मानचित्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा–32 सपठित धारा–15 के अन्तर्गत दी जाती है, इसलिये निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में इन निर्णयों के विरुद्ध मण्डलायुक्त / अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस हेतु अपीलीय फीस के अतिरिक्त तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये एक हजार मात्र प्राधिकरण को जमा करना होगा।
2. मण्डलायुक्त तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी सहायता के लिये मण्डल स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजक या समकक्ष सक्षम तकनीकी अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं अथवा उक्त अधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार शासन द्वारा गठित 8 व्यक्तियों के निम्न पैनल से किसी एक का चयन कर दोनों की एक समिति का गठन कर सकते हैं।
   (i) श्री पचौरी सेवा निवृत्त, मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
   (ii) श्री एम0एस0 त्यागी, मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (बुलन्दशहर)
   (iii) श्री वाई0के0 रहेजा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (iv) श्री पी0सी0 महरोत्रा, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा एवं सलाहकार, आवास बन्धु (लखनऊ)
   (v) श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक (नियोजन) आवास बन्धु (लखनऊ)
   (vi) श्री रूपेश जायसवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (आगरा)
   (vii) श्री शंकर नाग देव, सेवा निवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
   (viii) श्री सी0पी0 अरोरा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका केन्द्रीयत सेवा (कानपुर)
3. शिकायत / अपीलकर्ता तथा प्राधिकरण दोनों ही अपना–अपना पक्ष मण्डलायुक्त अथवा उनके द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा मण्डलायुक्त समिति के सलाह पर विचारोपरान्त उस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मण्डलायुक्त स्वयं अथवा उनके द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण भी कर सकती है, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को करनी होगी।

4. समिति की सहायता प्राप्त करने की दशा में समिति में उक्त पैनल के सदस्यों को टी0ए0, डी0ए0 तथा पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस विषय में समय–समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर आवास बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवास बन्धु को की जायेगी। व्ययभार कम करने के लिये आवश्यक होगा कि एक दिन में कम से कम पाँच प्रकरणों का निस्तारण पैनलिस्ट करेंगे। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष भी कृपया इसके दृष्टिगत तिथियाँ तय करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 2102(1)/–आ0–ब0/नि0सम0/आर्बी0/2000–01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि वे इस शासनादेश की प्रतियां अपने नगर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर्स तथा आर्किटेक्ट्स को उपलब्ध करा देंगे।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. स्टेट बिल्डर्स एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा एल्डिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 प्रगति केन्द्र, कपूरथला, लखनऊ।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।